

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

शंकर लाल

बनाम

नाती बाई

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>शंकर लाल</u></p> <p>पिता श्री <u>खुराज जी खुराज</u></p> <p>निवासी- <u>रोलाहड़ा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>रोलाहड़ा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1206/185, 194, 201/1333, 219, 183/1332</u></p> <p><u>0-25, 0-09, 0-14, 0-23, 0-35</u></p> <p>कुल कीता <u>05</u> कुल रकबा <u>1.06</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>रोलाहड़ा</u> स्थित खातेदारी की मूमि आराजी नम्बर <u>1206/185, 194, 201/1333, 219, 183/1332</u></p> <p><u>0-25, 0-09, 0-14, 0-23, 0-35</u></p> <p>कुल कीता <u>05</u> रकबा <u>1.06</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्गित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(शीनू देवल)</b>  <b>सहायक कलेक्टर एवं</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>चित्तौड़गढ़ (राज.)</b> </p>